

ई-मेल / डाक

राजस्थान सरकार
(निर्वाचन विभाग)

क्रमांक: प.3(3)(2)रोल / निर्वा / SSR-2019/2018/12627

जयपुर, दिनांक 18.12.18

प्रेषक : मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

प्रेषित : समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी
(कलक्टर) राजस्थान।

विषय : अहंता दिनांक 01 जनवरी, 2019 के संदर्भ में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम।

प्रसंग : भारत निर्वाचन आयोग का पत्र क्रमांक 23/LET/ECI/FUNC/ERD-ER/2018-III दिनांक 03 दिसम्बर, 2018, पत्र क्रमांक 23/RJ/ 2018/NS-I दिनांक 12 दिसम्बर, 2018 एवं विभाग का समसंख्यक पत्रांक 12141 दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 एवं पत्र क्रमांक 12534 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत भारत निर्वाचन आयोग के प्रासंगिक पत्र दिनांक 03 दिसम्बर, 2018 (प्रति संलग्न) द्वारा संदर्भ तिथि 01.01.2019 के संदर्भ में राज्य के सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण करने हेतु कार्यक्रम घोषित किया गया है। आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राज्य के सभी 200 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में (67-रामगढ़ (अलवर) सहित) मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन दिनांक 26 दिसम्बर, 2018 (बुधवार) को किया जायेगा तथा मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन दिनांक 22 फरवरी, 2019 (शुक्रवार) को किया जायेगा। आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम एवं पुनरीक्षण से पूर्व की जाने वाली प्रारम्भिक गतिविधियों हेतु निर्देश विभाग के प्रासंगिक समसंख्यक पत्रांक 12141 दिनांक 06.12.2018 एवं पत्रांक 12534 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 के द्वारा आपको प्रेषित की गई है।

2. संदर्भ तिथि 01.01.2019 के संदर्भ में मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम हेतु आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार इस अवधि के दौरान आयोजित की जाने वाली गतिविधियों की तिथियों की ओर आपका ध्यान पुनः आकर्षित किया जाता है, जो कि निम्न प्रकार से है :-

1.	एकीकृत मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन	26 दिसम्बर, 2018 (बुधवार)
2.	दावे एवं आपत्तियों प्राप्त करने की अवधि	26 दिसम्बर, 2018 (बुधवार) से 25 जनवरी, 2019 (शुक्रवार)
3.	मतदाता सूचियों के संबंधित भाग की प्रविष्टियों का ग्रामसभा/स्थानीय निकाय एवं आवासीय वेलफेयर सोसाइटी के साथ बैठक आयोजित कर पठन करना एवं सत्यापन करना	12 जनवरी, 2019 (शनिवार) व 19 जनवरी, 2019 (शनिवार)

4.	राजनैतिक दलों के बूथ स्तरीय अभिकर्ताओं के साथ दावे एवं आपत्तियों के आवेदन पत्र प्राप्त करने की विशेष तिथियां	13 जनवरी, 2019 (रविवार) व 20 जनवरी, 2019 (रविवार)
5.	दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण	11 फरवरी, 2019 (सोमवार) से पूर्व
6.	डेटाबेस अपडेट करना, फोटोग्राफ मर्ज करना, कन्ट्रोल टेबलस् को अपडेट करना एवं पूरक (Supplements) की तैयारी एवं मुद्रण	18 फरवरी, 2019 (सोमवार) से पूर्व
7.	मतदाता सूचियों का अन्तिम प्रकाशन	22 फरवरी, 2019 (शुक्रवार)

3. एकीकृत मतदाता सूची, 2019 :

- 3.1 **एकीकृत प्रारूप मतदाता सूची—2019 की तैयारी** – कृपया इस विषय में विभाग के प्रासंगिक पत्र क्रमांक 12141 दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 का अवलोकन करें। विधानसभा आम चुनाव से पूर्व अहंता दिनांक 01.01.2018 के संदर्भ में द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत दिनांक 28 सितम्बर, 2018 को अन्तिम रूप से प्रकाशित **मतदाता सूची—2018** के साथ मूल मतदाता सूची, पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान तैयार पूरक सूची—1 एवं निरन्तर अद्यतन की प्रक्रिया के अन्तर्गत विधान सभा आम चुनाव—2018 करने के दौरान नामांकन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक प्राप्त आवेदन पत्रों के निस्तारण के बाद तैयार पूरक सूची—2 संलग्न है।
- 3.2. **एकीकृत प्रारूप मतदाता सूची—2019** में दोनों पूरक सूचियों का एकीकरण (Intigration) मूल मतदाता सूची में ERMS सॉफ्टवेयर के माध्यम से विभाग की SLA, M/S REIL कर दिया गया है तथा सहायक मतदान केन्द्रों को मूल मतदान केन्द्रों में परिवर्तित कर नये भाग संख्या स्वतः ही जारी कर दिये गये हैं। एकीकरण के समय मतदाता सूची में पंजीकृत सभी मतदाताओं की आयु एक वर्ष बढ़ाई जाकर अंकित की गई है। प्रारूप मतदाता सूची में परिवर्धन की पूरक सूचियों के अनुसार (पुनरीक्षण कार्यक्रम एवं निरन्तर अद्यतन की प्रक्रिया में तैयार पूरक सूचियों) जोड़े गए नामों को परिवार के साथ स्थानान्तरित किया गया है तथा यथास्थिति संशोधन एवं विलोपन भी किए गये हैं। कृपया एकीकरण की कार्यवाही के पश्चात ERMS से प्रिन्ट प्राप्त कर सरसरी तौर पर प्रारूप प्रकाशन से पूर्व इसकी जाँच कर ली जाए।
- 3.3. विधानसभा आम चुनाव के दौरान राज्य के विभिन्न जिलों के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के कुल 169 सहायक मतदान केन्द्र स्थापित किए गए हैं। आयोग के निर्देशानुसार इन्हे मूल मतदान केन्द्र में परिवर्तित कर प्रारूप मतदाता सूचियाँ तैयार की गई हैं। कृपया इस विषय में विभाग के पत्र क्रमांक 12141 दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 का अवलोकन कर आवश्यक कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करें।

3.4 मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची की सॉफ्ट कॉपी “इमेज पीडीएफ फाईल” के रूप में दी जानी है। विभागीय SLA रील द्वारा ऑनलाइन ERMS सिस्टम पर फाटोरहित मतदाता सूची की “इमेज पीडीएफ डाउनलोड” करने का प्रावधान कर दिया गया है। सभी जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को निर्देश प्रदान करें की वह संबंधित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सभी भागों की अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची की “इमेज पीडीएफ फाईल” डाउनलोड कर इसकी सीडी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को उपलब्ध करवायेंगे। उक्त पीडीएफ फाईल भी जिला स्तर से जिला निर्वाचन अधिकारियों की वेबसाइट (जिले की अधिकारिक वेबसाइट) पर पूर्वानुसार अपलोड की जानी है जिसका लिंक विभाग की वेबसाइट पर दे दिया जायेगा। पूर्वानुसार नई फाईल अपलोड करते समय पुरानी फाईलों को ओवरराईट कर दिया जायें। कृपया तदनुसार कार्यवाही करे जिससे निर्धारित दिनांक 26 दिसम्बर, 2018 को मतदाता सूचीयों का प्रारूप प्रकाशन के साथ ही उक्त मतदाता सूची वेबसाइट पर भी प्रकाशित कि जा सके।

4. विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का उद्देश्य –

4.1 भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रत्येक वर्ष 01 जनवरी को आधार मानते हुए मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण किया जाता है। इस कार्य में आम नागरिक, पूर्व में पंजीकृत मतदाता, मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल, मतदान केन्द्रों के लिए नियुक्त बूथ स्तरीय अभिकर्ताओं एवं गैर सरकारी संस्थाओं की सहभागिता सुनिश्चित की जानी है। इस विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान निम्न कार्यवाही की जानी है –

4.1.1 जिन व्यक्तियों की आयु दिनांक 01 जनवरी, 2019 को 18 वर्ष या इससे अधिक है और जो मतदाता बनने के योग्य है तथा ऐसे पात्र व्यक्ति जिनका गत वर्ष आयोजित पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान नाम मतदाता सूची में पंजीकृत नहीं हो पाया है, उनके नाम मतदाता सूची में सम्मिलित किए जायेंगे।

4.1.2. मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की पात्रता रखने वाले व्यक्ति जो प्रथम बार नाम जुड़वाने हेतु आवेदन कर रहे हैं या पूर्व में पंजीकृत मतदाता जो कि मतदाता सूची में अपनी गलत मुद्रित फोटो को ठीक करवाना चाहते हैं या मतदाता सूची में अपनी प्रविष्टि को अन्यत्र स्थानान्तरित करने हेतु आवेदन करना चाहते हैं, वे स्वेच्छा से मतदाता फोटो पहचान पत्र बनवाने हेतु

निर्धारित प्रपत्र **ईपिक-001** में फोटो के साथ आवेदन कर सकेंगे, जिससे त्रुटियों की शुद्धि के साथ-साथ उनका मतदाता सूची में फोटो भी मुद्रित हो सके। इस विषय में विस्तृत दिशा-निर्देश आयोग की “**बूथ लेवल अधिकारियों की निर्देशिका**” में उपलब्ध हैं।

4.2 भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूची के ऑकड़ों का प्रारूप प्रकाशन की तिथि से पूर्व एवं अन्तिम प्रकाशन से पूर्व प्रपत्र 1-8 में ऑकड़ों का विश्लेषण किया जाता है तथा मतदाता सूची में निर्धारित विभिन्न ऑकड़ों में पाई गई कमियों को तदनुसार आगामी विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम एवं निरन्तर अद्यतन की प्रक्रिया में पूर्ण करने का प्रयास किया जाता है। आगामी पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान विभाग द्वारा मतदाता सूची में शत-प्रतिशत पात्र युवाओं का पंजीकरण, विशेषयोग्यजन का पंजीकरण एवं महिलाओं का शत-प्रतिशत पंजीकरण करने के साथ-साथ त्रुटिरहित मतदाता सूचियों तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। इस विषय में संक्षिप्त विवरण आगे के पैरा में निम्न प्रकार से दिया जा रहे हैं –

4.2.1. **18-19 आयु वर्ग के युवाओं का पंजीकरण** – संदर्भ तिथि 01.01.2018 के क्रम में यदि 18-19 आयु वर्ग की जनसंख्या का विश्लेषण किया जाए तो वर्तमान में **18-19 आयु वर्ग में लगभग 20.29 लाख युवा मतदाता मतदाता सूची में पंजीकृत हैं**। निर्धारित मापदण्ड के अनुसार जनसंख्या की तुलना 4.23 प्रतिशत के अनुसार 1 जनवरी, 2019 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके सभी युवाओं का मतदाता सूचियों में पंजीकरण किया जाना सुनिश्चित करें।

4.2.2. **इस हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) जिलेवार, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रवार एवं भागवार कार्ययोजना बनाकर युवाओं का पंजीकरण किया जाना सुनिश्चित करें।** इस क्रम में जहाँ एक ओर घर-घर जाकर पात्र युवाओं का मतदाता सूची में नाम जोड़ने हेतु आवेदन पत्र प्राप्त किए जायेंगे, वहीं दूसरी ओर शैक्षणिक संस्थाओं में कैम्प आयोजित कर अथवा शैक्षणिक संस्थाओं की आवश्यकतानुसार प्ररूप 6 में नियमित रूप से भर कर प्राप्त किए जाएं ताकि कोई भी 18-19 आयु वर्ग के नवयुवक छात्र/छात्राएँ पंजीकरण से न छूटे।

4.2.3. **शैक्षणिक संस्थान में ब्रॉड एम्बेसेडर, मतदाता प्रहरी एवं नोडल अधिकारी की अविलम्ब नियुक्ति की जाकर इन्हें पुनरीक्षण कार्यक्रम से पूर्व क्रियाशील किया जाकर युवाओं का पंजीकरण किया जाए, ताकि पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान लक्ष्य की प्राप्ति की जा सके।**

4.3 विशेषयोग्यजन का पंजीकरण – विगत वर्षों की भाँति इस वर्ष निरन्तर अद्यतन की प्रक्रिया में सबल अभियान के दौरान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से डेटाबेस प्राप्त कर तदनुसार इसकी विधानसभा क्षेत्रवार मतदाता सूची के साथ मैपिंग की जाकर पात्र विशेष योग्यजनों का मतदाता सूची में पंजीकरण करने हेतु कार्यवाही की गई है। किन्तु इसके अभी तक शतप्रतिशत परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं। विधानसभा आम चुनाव के दौरान प्रयुक्त मतदाता सूचियों में 4.36 लाख विशेषयोग्यजन मतदाताओं का पंजीकरण है। जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा 18–19 आयु वर्ग के जारी ऑकड़ों से बहुत कम है। अतः आगामी पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान इस विषय में कार्ययोजना तैयार कर शतप्रतिशत पात्र विशेषयोग्यजनों का मतदाता सूचियों में पंजीकरण सुनिश्चित किया जावें।

4.3.1. इस विषय में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से प्राप्त डेटा के अनुसार लगभग 8 लाख से अधिक ऐसे पात्र विशेष योग्यजन हैं जो या तो मतदाता सूची में मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं तथा इसकी सूचना डेटाबेस में अपडेट नहीं की गई है अथवा ऐसे पात्र व्यक्ति भी हैं जिनका मतदाता सूची में पंजीकरण किया जाना शेष है। जिला निर्वाचन अधिकारियों (कलकटर्स) से अनुरोध है कि विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई गई इस सूचना के अनुसार यह सुनिश्चित कर लें कि जिलेवार/विधानसभा क्षेत्रवार 18 वर्ष की आयु से अधिक के कितने विशेष योग्यजन हैं। यह सूची सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को आवश्यक रूप से दिनांक **26 दिसम्बर, 2018** से पूर्व उपलब्ध कराई जाए।

4.3.2. इस सूची के अनुसार निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसे कितन विशेष योग्यजन हैं जिनका कि पूर्व से मतदाता सूची में पंजीकरण है। तदनुसार इनका डेटा अविलम्ब निर्धारित प्लेटफार्म पर अपडेट किया जाए। सूची में उपलब्ध ऐसे विशेष योग्यजन जिनका मतदाता सूची में पंजीकरण नहीं हुआ है उनसे संबंधित बीएलओ मोबाईल पर अथवा घर-घर सम्पर्क कर आवेदन पत्र भरवाकर प्राप्त करें ताकि शत-प्रतिशत विशेष योग्यजन का मतदाता सूची में पंजीकरण सुनिश्चित किया जा सके।

4.3.3. भारत निर्वाचन आयोग के पत्र क्रमांक 485/COMP/ERO-Net/2018 दिनांक 16 जुलाई, 2018 के द्वारा "Integrated Contact Centre" के माध्यम से विशेष योग्यजनों को उनके द्वारा तक मतदाता सूचियों में पंजीकरण की सुविधा प्रदान करने के निर्देश दिये गये हैं (**प्रति संलग्न हैं**)। इस विषय में विस्तृत

दिशा निर्देश पृथक से प्रेषित किये जायेंगे, जिनकी पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान पालना सुनिश्चित की जाए।

- 4.3.4 विधानसभा आम चुनाव के दौरान आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूची पंजीकृत दृष्टिबाधित मतदाताओं को (जिनका लिंक ERMS में अपडेट किया गया है) मतदाताओं को ब्रेललिपि में मतदाता फोटो पर्चीयां तैयार कर उपलब्ध करवायी गयी है। फोटो पर्चीयों के मुद्रण के समय जिलों से आए प्रतिनिधियों द्वारा उपलब्ध करवाये गए डाटा एवं विभाग की SLA द्वारा उपलब्ध करवाए गये डाटा में विसंगतियां प्रकट हुई हैं। अतः जिला निर्वाचन अधिकारियों से अनुरोध है कि पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान मतदाता सूची में पंजीकृत दृष्टिबाधित मतदाताओं का सत्यापन करवाकर ERMS पर सूचना अपडेट की जावें।
- 4.4. **महिलाओं का पंजीकरण** – जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) / निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों से अनुरोध है कि वह विधानसभा क्षेत्रवार यह सुनिश्चित करें कि लिगांनुपात में कितना अन्तर है तथा भागवार बीएलओ के लिए लक्ष्य निर्धारित करें तथा लक्ष्य की प्राप्ति में बीएलओ के साथ ग्रामीण स्तर पर कार्यरत विभिन्न सरकारी विभाग के कार्मिक यथा ऑगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनें, ए.एन.एम. आदि का सक्रिय सहयोग प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

5. मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन –

- 5.1 इस संक्षिप्त पुनरीक्षण का आधार **फोटोयुक्त प्रारूप मतदाता सूची–2019** होगी। पैरा 3 के अनुसार प्रारूप मतदाता सूची–2019 जिला स्तर पर तैयार की जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी इस विषय में यह सुनिश्चित करलें कि उक्त कार्य प्रारूप प्रकाशन हेतु निर्धारित तिथि 26 दिसम्बर, 2018 से पूर्व जिला स्तर पर आवश्यक रूप से पूर्ण करवा लिया जाए।
- 5.2 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी प्रारूप प्रकाशन की तिथि 26 दिसम्बर, 2018 को प्रारूप मतदाता सूची को अपने कार्यालय एवं इसके पृथक–पृथक भाग की प्रति निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 में वर्णित प्ररूप 5 में सूचना की प्रति सहित प्रत्येक मतदान केन्द्र एवं यथा सम्भव रथानीय निकाय पर जनता के निरीक्षण हेतु उपलब्ध करायेंगे। प्ररूप–5 में प्रकाशित सूचना का प्रचार–प्रसार भी किया जावेगा। सभी जिला निर्वाचन अधिकारी प्रारूप प्रकाशन की सूचना दिनांक 26 दिसम्बर, 2018

को समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी से प्राप्त कर उसी दिन मुख्य निर्वाचन अधिकारी को जरिये ईमेल/फैक्स/दूरभाष पर प्रेषित करेंगे।

5.3 विभाग की वैबसाईट पर प्रारूप मतदाता सूची, 2019 का प्रकाशन:

पैरा 5.2 के अनुसार निर्धारित दिनांक को विनिर्दिष्ट स्थानों पर प्रारूप मतदाता सूची, 2019 का प्रकाशन किया जायेगा तथा साथ-साथ विभाग की वेबसाईट **ceorajasthan.nic.in** पर भी भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश 25 सितम्बर, 2018 एवं प्रासंगिक पत्र दिनांक 03 दिसम्बर, 2018 में दिए गये निर्देशों के अनुसार Image/PDF Format के प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन किया जायेगा। अतः **बिना फोटोयुक्त मतदाता सूची की पीडीएफ फाइल दिनांक 23 दिसम्बर, 2018 तक ईमेल/विशेष वाहक के साथ विभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।**

6. प्रारूप मतदाता सूचियों की प्रदायगी :

6.1 प्रारूप मतदाता सूचियों की प्रति निम्नानुसार उपलब्ध करायी जायेगी:-

(क)	मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनैतिक दलों को विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची। (प्रारूप प्रकाशन कि तिथि के दिन ही)	-	1-1 प्रति एवं 1-1 सीडी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को देने हेतु।
(ख)	संबंधित शहरी/ग्रामीण स्थानीय निकाय हेतु।	-	1 प्रति
(ग)	अधिकृत अधिकारियों को मतदान केन्द्र पर प्रकाशन एवं वार्ड सभा में पठन हेतु	-	1 प्रति अधिकृत अधिकारी हेतु
(घ)	निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय हेतु	-	1 प्रति
(ङ.)	सील्ड लिफाफे में जिला निर्वाचन कार्यालय हेतु	-	1 प्रति
(च)	बूथ लेवल अधिकारी हेतु	-	1 प्रति

6.1. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 11 के अनुसार मतदाता सूचियों के प्रारूप प्रकाशन के बाद इनकी एक हार्डकापी एवं एक सॉफ्टकापी सीडी में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनैतिक दलों को प्रारूप प्रकाशन कि तिथि के दिन ही उपलब्ध कराने के निर्देश हैं। वर्तमान पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान इन निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावें।

6.2. भारत निर्वाचन आयोग ने पत्र क्रमांक 23/बीएलए/2008/ईआरएस दिनांक 19 नवम्बर, 2008 से निर्देश जारी कर यह व्यवस्था की है कि जिला निर्वाचन अधिकारी/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन के बाद मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनैतिक दलों द्वारा विधिवत नियुक्त किए गए बूथ स्तरीय अभिकर्ताओं को संबंधित भाग की मतदाता सूची अधिकृत अधिकारी के माध्यम

से उपलब्ध करवाई जायेगी। यदि किन्हीं भागों के लिए राजनैतिक दलों द्वारा बीएलए की नियुक्ति नहीं की गई है तो संबंधित भागों की मतदाता सूचियाँ निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा उक्त राजनैतिक दलों के अधिकृत प्रतिनिधियों को उपलब्ध करवायी जाएगी। इस संबंध में पालना रिपोर्ट दिनांक 30 दिसम्बर, 2018 तक विभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

7. अधिकृत अधिकारियों (बी.एल.ओ.) एवं बी.एल.ओ. के पर्यवेक्षकों की नियुक्ति –

- 7.1 पुनरीक्षण कार्य के लिए अधिकृत अधिकारियों/पर्यवेक्षकों की नियुक्ति संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 14 के अन्तर्गत की जायेगी।
- 7.2 पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान शिक्षकों को अधिकृत अधिकारी नियुक्त करने के विषय में विभाग के पत्र क्रमांक प.8(9)(6)निर्वा/2007/350 दिनांक 12.2.2008 के साथ भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश क्रमांक 509/65/2003/जे.एस-ट दिनांक 28.1.2008 एवं 23/2007/ईआरएस दिनांक 28.1.2008 को ध्यान में रख कर नियुक्ति आदेश जारी किए जाए। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उक्त निर्देशों को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पी.आई.एल. संख्या 36449/2016 में पारित निर्णय दिनांक 08.08.2016 के क्रम में पुनः प्रेषित करते हुए इनकी पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं। आयोग के पत्र दिनांक 23/BLO/LET/ECI/FUNC/ERD/ER/2016 दिनांक 05 सितम्बर, 2016 की प्रति सुलभ संदर्भ हेतु पालनार्थ संलग्न की जा रही है। पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान अधिकृत अधिकारी (बी.एल.ओ.) के रूप में नियुक्त किए गए शिक्षक उक्त कार्य अवकाश के दिनों में या शैक्षणिक समय के अलावा करेंगे। इसका उल्लेख उनके नियुक्ति पत्र में कर दिया जावे। फार्म संख्या 6, 6क, 7, 8 एवं 8क उपलब्ध कराने एवं प्राप्ति के लिए शिक्षण संस्थाओं के शिक्षण समय को ध्यान में रखते हुए शैक्षणिक समय को छोड़ते हुये एक घण्टा इस कार्य के लिए नियत कर दिया जावे। इसका प्रचार-प्रसार कराया जावे एवं राजनैतिक दलों को इस बारे में पहले से ही अवगत करा दिया जावे। जब उक्त शिक्षक अध्यापन कार्य में व्यस्त रहे तो मतदाता सूची आम नागरिकों के अवलोकनार्थ संस्था प्रधान के कक्ष में रखी जाए।
- 7.3 वर्तमान पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान बूथ लेवल अधिकारियों को ही अधिकृत अधिकारी नियुक्त किया जाये। ऐसी स्थिति में पैरा 7.1 के अनुसार विधिवत नियुक्त आदेश जारी किए जाए। पुनरीक्षण कार्यक्रम की अवधि के दौरान बीएलओ मतदान केन्द्र पर उपस्थित रहकर मतदाता सूचियों में नाम जुड़वाने/हटवाने/स्थानान्तरित

करने/संशोधनों आदि के आवेदन पत्र प्राप्त करेगे। बी.एल.ओ. दावे एवं आपत्तियों प्राप्त करने हेतु निर्धारित दिनांक 26 दिसम्बर, 2018 से 25 जनवरी, 2019 के मध्य वार्ड सभा एवं विशेष अभियान की तिथियों हेतु निर्धारित दिनांकों के अतिरिक्त प्रतिदिन का कार्यक्रम निर्धारित करेंगे। कार्यक्रम निर्धारण के समय दिन-प्रतिदिन घर-घर जाकर मतदाता सूचियों की प्रविष्टियों का सत्यापन एवं विभाग द्वारा उपलब्ध करवायी गयी त्रुटियों/विशेष योग्यजनों से संबंधित सूचना एवं अन्य प्रपत्रों में सूचना का संकलन भी करेंगे। विशेष योग्यजन पंजीकृत अथवा पात्र अपंजीकृत मतदाता को दूरभाष पर सूचना प्राप्त होने पर बीएलओ द्वारा उनसे अविलम्ब व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क कर कार्यवाही की जाएगी।

- 7.4 बी.एल.ओ.के कार्य पर प्रभावी पर्यवेक्षण हेतु 10-10 मतदान केन्द्रों के लिये एक पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। पर्यवेक्षकगण सम्पूर्ण पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान भ्रमण कर बी.एल.ओ. द्वारा किये जाने वाले कार्य का पर्यवेक्षण करेंगे तथा वार्ड सभा की कार्यवाही में भी भाग लेंगे। पर्यवेक्षक यह भी सुनिश्चित करेंगे कि अभियान की विशेष तिथियों पर निर्धारित समय प्रातः 9.00 बजे से सायं 6.00 बजे तक बी.एल.ओ. अपने मतदान केन्द्र पर उपस्थित रहकर प्रपत्र 6, 6क, 7, 8 एवं 8क प्राप्त कर रहे हैं एवं मतदाताओं की जिज्ञासा/समस्याओं का समाधान भी कर रहे हैं, वह निर्धारित दिनांकों को वार्डसभा का आयोजन एवं विशेष अभियान की तिथियों पर बीएलओ से समन्वय कर कार्य सम्पादित करेंगे। आयोग द्वारा प्रत्येक पर्यवेक्षक के लिए प्रति वर्ष रुपये 12,000 मानदेय भी निर्धारित किया है। अतः सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों से अनुरोध है कि वह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्धारित मापदण्ड के अनुसार पर्यवेक्षक नियुक्त करें। ईआरओ स्तर पर इनकी नियुक्ति के क्रम में रजिस्टर भी संधारित किया जाए।

चूंकि आयोग के निर्देशानुसार मतदान केन्द्र अथवा अन्य स्थान पर दिन-प्रतिदिन प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों को विभाग की बेवसाइट पर उपलब्ध करवाया जाना है। अतः दावे एवं आपत्तियों प्राप्त करने की अवधि में पर्यवेक्षकों का यह मुख्य दायित्व होगा कि उनके अधीन सभी मतदान केन्द्रों से वह आवेदन पत्र एकत्रित कर सम्बंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण कार्यालय में उपलब्ध करवायेंगे ताकि सम्बंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ERO Net पर इनकी प्रविष्टि करा सकें।

- 7.5 अधिकृत अधिकारी की नियुक्ति के विषय में यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि बीएलओ को अधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है तो उसकी दावे एवं आपत्तियों

प्राप्त करने हेतु निर्धारित अवधि में मतदान केन्द्र पर उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। यदि मतदान केन्द्र का भवन शाला या कोई अन्य संस्था है तथा बीएलओ उस संस्था/शाला में कार्यरत नहीं है तो ऐसी स्थिति में अधिकृत अधिकारी की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु उसी शाला/संस्था के कर्मचारियों को अधिकृत अधिकारी नियुक्त किया जाए।

8. प्रशिक्षण –

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अर्हता दिनांक 01.01.2019 के संदर्भ में मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम से पूर्व जिले के सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों आदि एवं पर्यवेक्षक/बीएलओ/अधिकृत अधिकारियों के लिए एक लघु प्रशिक्षण सत्र पुनरीक्षण कार्यक्रम हेतु प्रदान की जाने वाली समग्री प्रदान करते समय आयोजित कर लिया जावें।

9. अधिकृत अधिकारी (बी.एल.ओ.) को प्रदाय की जाने वाली सामग्री –

प्रशिक्षण सत्र में ही बी.एल.ओ.को निम्नलिखित दस्तावेज़/सामग्री प्रदान की जाएः—

1.	बीएलओ/अधिकृत अधिकारियों तक के लिये निर्देशिका	उक्त निर्देशिका का मुद्रण माह जुलाई, 2017 में आयोजित विशेष अभियान के दौरान जिला स्तर पर करवाया गया है। कृपया बीएलओ/अधिकृत अधिकारियों के पास इसकी उपलब्धता सुनिश्चित की जाये।
2.	प्रारूप प्रकाशन हेतु	फोटोयुक्त प्रारूप मतदाता सूची – 2019
3.	प्ररूप – 6	मतदाता सूचियों में नाम सम्मिलित करने के लिए आवेदन
4.	प्ररूप – 6क	प्रवासी भारतीयों के मतदाता सूचियों में नाम सम्मिलित करने के लिए आवेदन
5.	प्ररूप – 7	मतदाता सूचियों में नाम सम्मिलित किए जाने के विरुद्ध या हटाये जाने के लिए आवेदन
6.	प्ररूप – 8	मतदाता सूचियों में प्रविष्ट विशिष्टियों की शुद्धि के लिए आवेदन
7.	प्ररूप – 8क	मतदाता सूचियों में प्रविष्टि को विधान सभा क्षेत्र के एक भाग से दूसरे भाग में स्थानान्तरित करने के लिये आवेदन
8.	कम्प्यूटर डाटा में से भागवार विशेष योग्य जनों की मुद्रित सूची	प्रत्येक बीएलओ को प्रारूप मतदाता सूची के डेटा बेस से भागवार विशेष योग्यजनों की सूची उपलब्ध करवायी है ताकि वह घर-घर सत्यापन/वार्ड सभा/ग्राम सभा की बैठकों में इनका सत्यापन कर सके तथा मतदान के समय उनको उपलब्ध करवायी जाने वाली सुविधा का आंकलन कर सूचना तैयार कर सके।
9.	प्ररूप – 9	प्राप्त दावों की सूची
10.	प्ररूप – 9क	प्रवासी भारतीयों से प्राप्त दावों की सूची
11.	प्ररूप – 10	नामों के सम्मिलित किये जाने बाबत आक्षेपों की सूची
12.	प्ररूप – 11	विशिष्टियों के बाबत आक्षेपों की सूची
13.	प्ररूप – 11क	मतदाता सूचियों में प्रविष्टि को अन्यत्र रखने के लिये प्राप्त दावों की सूची

14.	प्ररूप आई.डी./ एस.आर. 2019-01क	प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए अधिकृत अधिकारी (बी.एल.ओ.) द्वारा भरा जाने वाला प्ररूप (समरी रिपोर्ट-1)
15.	प्ररूप आई.डी./ ईसीआई-एपिक-001	पूर्व से पंजीकृत मतदाताओं द्वारा नये स्थान की मतदाता सूची में नाम जुङवाने हेतु यथा स्थिति प्ररूप 6 या प्ररूप 8क में आवेदन पत्र के साथ EPIC हेतु आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाने वाला प्रपत्र
16.	परिशिष्ट-क	वार्ड सभा का संक्षिप्त प्रतिवेदन, 2019 हेतु प्रारूप

नोट :-— गत पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान दिनांक 01 जनवरी, 2019 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले युवाओं (Prospective Voters) के प्ररूप-6 में आवेदन पत्र प्राप्त किए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी से अनुरोध है कि वह उक्त आवेदन पत्र संबंधित बीएलओ को उपलब्ध करवा देवे जिससे जानकारी के अभाव में आवेदकों का पुनः आवेदन नहीं करना पड़े।

10. अभियान की विशेष तिथियाँ —

- 10.1 भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए प्रारूप मतदाता सूचियों के सम्बन्ध में दावे एवं आपत्तियां प्राप्त करने हेतु **विशेष अभियान की तिथियाँ** यथा **13 जनवरी, 2019 (रविवार)** एवं **20 जनवरी, 2019 (रविवार)** निश्चित की हैं। उक्त तिथियों को बी.एल.ओ.प्रातः 9.00 बजे से सायं 6.00 बजे तक मतदान केन्द्र पर उपस्थित रह कर दावे एवं आक्षेप प्राप्त करेंगे। इन दिनों में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनैतिक दलों द्वारा भाग के लिए नियुक्त बूथ स्तरीय अभिकर्ता भी मतदान केन्द्र पर उपस्थित रहकर अधिकृत अधिकारी के साथ दावे एवं आपत्तियों के प्रार्थना पत्र प्राप्त करने में सहयोग देंगे।
- 10.2 उक्त तिथियों के अतिरिक्त दावे एवं आपत्तियां प्राप्त करने की निर्धारित अवधि दिनांक **26 दिसम्बर, 2018** से **25 जनवरी, 2019** तक कार्य दिवसों में भी दावे एवं आपत्तियों के आवेदन पत्र अधिकृत अधिकारी/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में प्राप्त किए जायेंगे।
- 10.3 विशेष तिथियों को पर्यवेक्षक अपने-अपने क्षेत्रों का दौरा करेंगे एवं EROs/AEROS से लगातार सम्पर्क में रह कर फीडबैक देते रहेंगे।

11. **दिनांक 12 व 19 जनवरी, 2019 (शनिवार)** को आयोजित होने वाली वार्ड सभा के संदर्भ में **निर्देश** — जिला निर्वाचन अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् एवं शहरी स्थानीय निकाय के अधिकारियों के साथ समन्वय कर उपरोक्त तिथियों को वार्ड सभा की बैठकों हेतु विधानसभा क्षेत्रवार कार्यक्रम निर्धारित करेंगे। वार्ड सभा की बैठकों में निम्न प्रकार से कार्यवाही की जायेगी :—

- 11.1. सभी अधिकृत अधिकारीगण अपने क्षेत्र की वार्ड सभा के लिये निश्चित दिनांक, समय एवं निर्दिष्ट स्थान पर उपस्थित होंगे। क्षेत्र के पटवारी, पर्यवेक्षकगण एवं अन्य पर्यवेक्षण अधिकारी भी यथा संभव ग्राम सभा की बैठकों में भाग लेवें। बैठक में दावे

एवं आपत्ति प्राप्त करने की प्रक्रिया के संबंध में जानकारी दी जाएगी। निर्वाचन अपराधों के संबंध में कानूनी प्रावधानों का ढ़कर सुनाया जाएगा।

- 11.2. मतदाता सूचियों की किसी भी प्रविष्टि के संबंध में दावे एवं आपत्तियों के आवेदन पत्र मौके पर ही भरकर अधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत किए जाएंगे। अधिकृत अधिकारी आवेदनकर्ता को फार्म भरने में आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे। अधिकृत अधिकारी स्वयं फार्म नहीं भरेंगे। यदि कोई व्यक्ति उस समय फार्म नहीं भर सके तो दिनांक 25 जनवरी, 2019 तक फार्म भरकर अधिकृत अधिकारी, संबंधित सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रस्तुत किए जा सकते हैं।
- 11.3. वार्ड सभा की बैठक में प्राप्त सभी आवेदन पत्रों पर तत्काल पश्चात् अधिकृत अधिकारी अपनी टिप्पणी अंकित करेंगे।
- 11.4. अधिकृत अधिकारी प्रत्येक वार्ड सभा की समाप्ति पर **परिशिष्ट-क** में एक प्रतिवेदन तैयार करेंगे और समर्त आवेदन पत्रों को संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रतिवेदन के साथ अग्रेषित करेंगे ताकि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी इन आवेदन पत्रों के निस्तारण की कार्यवाही तत्काल प्रारम्भ कर सके।
- 11.5. पंचायत सचिव/विकास अधिकारी द्वारा नियुक्त कर्मचारी एवं शहरी क्षेत्रों में नगर पालिका के कार्यकारी अधिकारी द्वारा नियुक्त कर्मचारी वार्ड सभा का कार्यवाही विवरण 2 प्रतियों में तैयार करेगा जिसकी एक प्रति संबंधित विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रेषित की जाएगी। कार्यवाही विवरण पर उपस्थित व्यक्तियों के हस्ताक्षर अथवा अंगूठा निशानी अवश्य करायी जायें।
- 11.6. पंचायत के सचिव या विकास अधिकारी द्वारा नियुक्त कर्मचारी वार्ड सभा की बैठक में संबंधित वार्ड में आने वाले ग्रामों की मतदाता सूचियों को पढ़कर सुनायेगा एवं संबंधित मतदाता की फोटो को दिखाकर उपस्थित जनसमुदाय से भी सत्यापन करवाया जाएगा। इन बैठकों में यथा संभव संबंधित क्षेत्र/ग्राम के पटवारी/भू-अभिलेख निरीक्षक भी उपस्थित रहेंगे।
- 11.7. मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की पात्रता रखने वाले व्यक्ति जो की प्रथम बार नाम जुड़वाने हेतु आवेदन कर रहे हैं या पूर्व में पंजीकृत मतदाता जो कि मतदाता सूची में अपनी गलत मुद्रित फोटो को ठीक करवाना चाहता हैं या ऐसे मतदाता जिनको मतदाता सूची में प्रविष्टि को अन्यत्र से स्थानान्तरित करवाना चाहता है वह स्वेच्छा से मतदाता फोटो पहचान पत्र बनवाने हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन कर सकेंगे।

- 11.8. **विशेष योग्य जनों का सत्यापन** – बीएलओ द्वारा पूर्व में पंजीकृत विशेष योग्यजन मतदाताओं को चिन्हित कर कम्प्यूटर डाटाबेस में मार्किंग की है तथा ऐसे पात्र विशेष योग्यजन व्यक्ति जिनका मतदाता सूची में नाम दर्ज नहीं है से घर-घर जाकर आवेदन पत्र भरवाये गये हैं।
- 11.9. वार्ड सभा की बैठकों में मतदाता सूची में पंजीकृत विशेष योग्यजनों की सूची का पठन कर इसका सत्यापन किया जाएगा। पात्र विशेष योग्यजन जिनका अभी तक पंजीयन नहीं है उनसे मौके पर आने अथवा मौके पर नहीं होने की स्थिति में बीएलओ द्वारा घर जाकर आवेदन पत्र प्राप्त किया जाएगा। अर्थात् सभी सुविधायें उनेक घर तक प्रदान की जायेगी, जिससे शतःप्रतिशत विशेष योग्यजनों का मतदाता सूची में पंजीयन हो सके।
- 11.10. मतदान दिवस के दिन विशेष योग्यजनों को बाधा रहित मतदान की सुविधा प्रदान करने हेतु वार्ड सभा की बैठक में उनकी आवश्यकताओं का आंकलन किया जायेगा तथा तदनुसार पंचायतवार हील चेयर आदि क्रय करने के क्रम में प्रस्ताव लिये जायेंगे ताकि आम चुनाव से पूर्व उक्त संसाधन पंचायत स्तर पर उपलब्ध हो सकें। अतः वार्ड सभा की बैठकों में यह कार्यवाही गंभीरतापूर्वक कर प्रस्ताव लिये जावें। वार्ड सभा की कार्यवाही के पश्चात् प्रत्येक आयोजित वार्ड सभा के क्रम में परिशिष्ट-क में सूचना तैयार कर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय में अविलम्ब जमा करवायी जायेगी तथा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तदनुसार आगामी कार्यवाही करेंगे।
- सभी जिला निर्वाचन अधिकारी वार्ड सभा का विधानसभा क्षेत्रवार कार्यक्रम निर्धारित कर इसकी सूचना 30 दिसम्बर, 2018 तक विभाग को प्रेषित करेंगे।
12. **मतदाता सूची में नाम जुड़वाने हेतु प्रपत्र-6 में प्रस्तुत किए जाने वाले प्रपत्र की जाँच –**
- 12.1 नए पंजीकृत होने वाले मतदाताओं एवं पूर्व में अन्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के पंजीकृत मतदाताओं द्वारा पुनरीक्षण कार्यक्रम अथवा मतदाता सूचियों के निरन्तर अद्यतन की कार्यवाही के दौरान प्रपत्र-6 में आवेदन किया जाता है तो इसे प्राप्त करने वाले प्राधिकारी यथा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं अधिकृत अधिकारी (बीएलओ) इसकी सरसरी जाँच करेंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रपत्र-6 के सभी कालम्स की पूर्ति की गई है।
- 12.2 यदि कोई व्यक्ति कहीं अन्यत्र स्थान से स्थानान्तरित होकर आया है तो आवेदन पत्र में उसके पूर्व निवास स्थान का पूर्ण पता एवं मतदाता फोटो पहचान पत्र के नम्बर के कालम की पूर्ति आवश्यक रूप से करावें। यदि प्रपत्र-6 में पूर्व निवास की सूचना,

- यदि मतदाता फोटो पहचान पत्र पूर्व में जारी हुआ हो तो उसका नम्बर, आवेदक के माता/पिता या रिश्तेदार का मतदाता सूची में भाग संख्या/क्रमांक की सूचना अंकित नहीं है तो ऐसी स्थिति में आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाए।
- 12.3 निर्धारित नवीनतम प्रक्रम-6 में पूर्व की भाँति परिवार के पूर्व में पंजीकृत अन्य सदस्यों के मतदाता सूची में पंजीकरण से संबंधित सूचना प्रस्तुत करने का कॉलम नहीं है। ऐसी स्थिति में यह निर्धारण करना कठिन है कि यदि आवेदन पत्र को स्वीकार करने की स्थिति में इनका नाम भाग की मतदाता सूची में किस क्रमांक पर होगा। अतः सभी बीएलओ को यह निर्देशित करें कि वह आवेदन पत्र की जाँच करते समय यह भी अंकित करें कि परिवार के सदस्य/पड़ौसी जो कि पूर्व में मतदाता सूची में पंजीकृत हैं के सापेक्ष नव पंजीकृत मतदाता का नाम किस क्रमांक के बाद/पूर्व पंजीकृत किया जाएगा।
- 12.4 आवेदन प्राप्त करने वाले अधिकारी इसकी पूर्ति आवेदकों से करा लेवें यदि पूर्व में पहचान पत्र जारी हुआ है तो उसकी फोटोप्रति भी सलंगन करा लेवें। उक्त सूचना जहाँ अभी हाल ही में पात्र हुए व्यक्तियों के नाम पंजीकृत करने में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के लिए उपयोगी है वहीं अन्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से स्थानान्तरित होकर आए मतदाताओं के नाम पंजीकृत करने के साथ-साथ पूर्व की विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची से नाम हटाये जाने में उपयोगी होगी। संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को सूचना देनी होगी जिससे वह अपनी मतदाता सूची में से नाम हटा दें।
- 12.5 इस विषय में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी पुनरीक्षण कार्यक्रम (अथवा मतदाता सूचियों के निरन्तर अद्यतन की कार्यवाही) के दौरान प्राप्त होने वाले इस प्रकार के आवेदन पत्रों पर निर्णय लेकर आवेदक का मतदाता सूची में नाम पंजीकृत करेंगे तथा पूर्व के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में पंजीकृत मतदाता का नाम हटाने हेतु राज्य की विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को एवं राज्य के बाहर के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिये संबंधित राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को सूची भेजेंगे जिससे उनके द्वारा मतदाता सूची से नाम हटाया जा सके।
- 12.6 इसी प्रकार सभी EROs अन्य EROs से प्राप्त सूची के आधार पर ऐसे मतदाता की प्रविष्टियों को अपनी मतदाता सूची से हटायेंगे।

12.7. यदि कोई व्यक्ति जिसकी उम्र 21 वर्ष से अधिक है और पहली बार प्रपत्र 6 में आवेदन करता है तो उसे अनुलग्नक-II में शपथ पत्र देना होगा, बिना शपथ पत्र के आवेदन खारिज किया जावेगा।

13. **मतदाता सूची में नाम जुड़वाने/संशोधन करवाने हेतु किए जाने वाले आवेदन पत्रों के साथ मतदाता फोटो पहचान पत्र बनवाने हेतु स्वेच्छा से फोटो प्रस्तुत करने के विषय में—**

इस विषय में कृपया आयोग द्वारा उपलब्ध करवायी गई “बूथ लेवल अधिकारियों तक की निर्देशिका” का अवलोकन करें जिसमें विभिन्न आवेदन पत्रों की पूर्ति, डूप्लीकेट EPIC प्राप्त करने आदि के विषय में विस्तृत दिशा-निर्देश दिए गए हैं। प्रशिक्षण सत्र के दौरान इन निर्देशों की विस्तार से जानकारी दी जावे ताकि बीएलओ/पर्यवेक्षक द्वारा तदनुसार आम नागरिकों से विभिन्न आवेदन पत्र विशुद्ध रूप से भरवाकर प्राप्त किये जा सकें।

14. **बल्क/बंच के रूप में दावे और आपत्ति के आवेदन पत्र प्राप्त करने के संबंध में निर्देश —**

14.1 **सामान्यतः मतदाता सूचियों में नाम सम्मिलित कराने का दावा प्ररूप 6 संबंधित दावेदार द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किया जायेगा, यद्यपि एक ही परिवार के सदस्यों से संबंधित दावा प्रपत्रों को परिवार के किसी भी एक सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकेगा। इसी प्रकार आक्षेपों के संबंध में भी आवेदन पत्र आक्षेपकर्ता द्वारा व्यक्तिगत रूप से दाखिल किये जायेंगे।**

14.2. पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान किसी भी स्थान पर किसी भी संस्था द्वारा बल्क एवं बंच के रूप में दावे एवं आपत्तियों के आवेदन पत्र प्राप्त नहीं किये जायेंगे।

14.3 **बूथ स्तरीय अभिकर्ताओं द्वारा आवेदन पत्रों का प्रस्तुतीकरण —** आयोग के पत्र क्रमांक 23/बीएलए/2008/ईआरएस दिनांक 3 अगस्त, 2012, 18 सितम्बर, 2012 एवं 31 जुलाई, 2015 के पैरा 12 में दिए गए निर्देशानुसार मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनैतिक दलों द्वारा नियुक्त बूथ स्तरीय अभिकर्ताओं को अधिकृत किया गया है कि वह एक बार में अधिकतम 10 फार्म बी.एल.ओ. को इस आशय की घोषणा के साथ जमा करवा सकते हैं कि प्रत्येक आवेदन की प्रविष्टियों का उनके द्वारा सत्यापन कर लिया गया है तथा वह सही हैं। पुनरीक्षण कार्यक्रम की अवधि में बीएलए द्वारा अधिकतम 30 आवेदन पत्र ही दिए जा सकेंगे। कृपया विभिन्न स्तर पर आयोजित होने वाले प्रशिक्षण के दौरान इस विषय में अवगत कराया जाए तथा इसकी सूचना राजनैतिक दलों को भी दी जाए। इस क्रम में कृपया विभाग के पत्र क्रमांक 2380 दिनांक 25.06.2015 द्वारा भेजे गये भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का अध्ययन कर इनकी पालना की जाना सुनिश्चित करें।

14.4 यदि बी.एल.ए. द्वारा अधिक आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाते हैं तो इन सबकी विशेष जाँच पर्यवेक्षकों से करवा कर ई.आर.ओ. द्वारा निस्तारित किये जायेंगे।

15. विधानसभा/लोकसभा सदस्य या क्षेत्र के प्रमुख व्यक्तियों के मतदाता सूची में नामों का सत्यापन –

महत्वपूर्ण व्यक्ति यथा सांसद/विधायक आदि जहाँ निवास करते हैं तथा उनके नाम प्रारूप मतदाता सूची में होने के बारे में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी सुनिश्चित करेंगे। संसद सदस्यों एवं विधानसभा सदस्यों के नाम मतदाता सूची में यथावत रहने के बारे में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के लिये हैण्डबुक, 2016 के अध्याय चतुर्थ के पैरा 13.5 में निर्धारित प्रपत्र में सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी को प्रमाण पत्र प्रेषित करेंगे। उक्त हैण्डबुक भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट www.eci.gov.in पर उपलब्ध है। इस विषय में भारत निर्वाचन आयोग के प्रासंगिक पत्र दिनांक 03 दिसम्बर, 2018 के पैरा – 10 में दिए गए निर्देशों की अक्षरशः पालना की जाना सुनिश्चित करें।

16. प्रारूप मतदाता सूची में चिन्हित की गई त्रुटियों/दोहरी प्रविष्टियों/बहु प्रविष्टियों/मृत/स्थानान्तरित/अनुपस्थित मतदाताओं/जनसांख्यिकीय एकरूपता वाले मतदाताओं (Demographically Similar Entries - DSEs) का घर-घर जाकर सत्यापन कर नाम विलोपन करने की प्रक्रिया –

16.1. कृपया इस विषय में भारत निर्वाचन आयोग के प्रासंगिक पत्र दिनांक 3 दिसम्बर, 2018 में प्रत्येक बिन्दु पर दिये गये निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जावे।

16.2. त्रुटियों का निस्तारण – सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी उन्हें गत अभियान के दौरान ERO Net Portal से प्राप्त त्रुटियों का यथा स्थिति निराकरण कार्यालय स्तर पर अथवा पुनरीक्षण कार्यक्रम की अवधि में अधिकृत अधिकारी/बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर इनका सत्यापन करने के विषय में प्रभावी कार्यवाही करें।

इस विषय में विस्तृत दिशा-निर्देश पृथक से प्रेषित किये जा रहे हैं।

17. कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार –

पुनरीक्षण के कार्यक्रम की जानकारी दिये जाने के लिए जिला स्तर एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण स्तर पर गठित मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों एवं जन प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की जाए। इस बैठक में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को निम्न जानकारी आवश्यक रूप से दी जाए—

17.1 मतदाता सूचियों के संक्षिप्त पुनरीक्षण करने हेतु आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी लिखित में दी जाये एवं कार्यक्रम में उनकी सहभागिता सुनिश्चित की जावे।

- 17.2 बल्क/बच के साथ आवेदन प्रस्तुत नहीं करने हेतु आयोग के निर्देशों एवं मतदान केन्द्र के लिए नियुक्त बीएलए द्वारा अनु. 14.3 में वर्णित विवरण के अनुसार एक साथ 10 एवं पुनरीक्षण अवधि में अधिकतम 30 आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में घोषणा के साथ प्रस्तुत कर सकता है इस बाबत जानकारी दी जाए।
- 17.3 बैठक में यह भी बताया जाये कि आयोग के पत्र दिनांक 3 दिसम्बर, 2018 में दिए गए निर्देशानुसार पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान दिन प्रतिदिन प्राप्त होने वाले विभिन्न आवेदन पत्रों को संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा ERMS/ERO Net पर अपलोड किया जाएगा ताकि उक्त सूचियाँ मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाईट पर उपलब्ध हो सके, जिससे किसी आवेदन पत्र के क्रम में किसी व्यक्ति, राजनैतिक दल अथवा उम्मीदवार द्वारा संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को आक्षेप प्रस्तुत किया जा सके।
- 17.4 बैठक में यह भी बताया जाए कि संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा दावे एवं आपत्तियाँ प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक के तुरन्त बाद प्राप्त हुए विभिन्न आवेदन पत्रों की सूची मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाईट, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाएगी ताकि जिस मतदाता का नाम मतदाता सूची से विलोपित किया जाना है (मृत्यु संबंधी प्रकरणों को छोड़कर) की जानकारी सभी को मिल सके तथा उसे उसका विधिवत नोटिस दिया जाकर हटाया जा सके। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी उक्त सूची की एक-एक प्रति व्यक्तिगत रूप से मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित कर उपलब्ध करवायेंगे तथा रसीद प्राप्त करेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी इस विषय में व्यापक प्रचार-प्रसार करें तथा लिखित रूप से भी राजनैतिक दलों को सूचित करें।
- 17.5 पुनरीक्षण कार्यक्रम में स्वयंसेवी संगठनों/संस्थाओं आदि का सहयोग भी प्राप्त किया जाना है। अतः स्वयंसेवी संस्थाओं की पृथक से बैठक आमंत्रित की जाकर पुनरीक्षण कार्यक्रम एवं प्रक्रिया की जानकारी के साथ-साथ वार्ड सभाओं में भी उन्हें उपस्थित रह कर कार्यक्रम में सहयोग देने की अपील की जाए।
- 17.6. जिला निर्वाचन अधिकारी सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को निर्देश प्रदान करें कि पुनरीक्षण कार्यक्रम के प्रारम्भ होने की तिथि से 2-3 दिन में जिला/विधानसभा मुख्यालय पर वृहद स्वीप गतिविधियाँ आवश्यक रूप से आयोजन कर अधिक से अधिक नागरिकों की सहभागिता सुनिश्चित करें। इसका Documentation किया जाकर इसे विभाग की वेबसाईट पर अपलोड किया जाये।

17.6 पुनरीक्षण कार्यक्रम से पूर्व जिला स्तरीय स्वीप कमेटी, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की स्वीप कमेटी एवं बूथ स्तर पर गठित स्वीप कमेटी को सक्रिय किया जाए जिससे पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान अधिक से अधिक नागरिकों की सहभागिता सुनिश्चित की जा सके।

18. पर्यवेक्षण—

- 18.1** कृपया भारत निर्वाचन आयोग के प्रासंगिक पत्र दिनांक 03 दिसम्बर, 2018 का अवलोकन करें। पुनरीक्षण के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं पर्यवेक्षक अपने—अपने क्षेत्राधिकार में भ्रमण कर पुनरीक्षण कार्यक्रम की अवधि तक विशेष अभियान की तारीखों के दिनों में बीएलओ द्वारा की जाने वाली कार्यवाही का पर्यवेक्षण करेंगे ताकि पुनरीक्षण कार्य एवं फोटोयुक्त मतदाता सूची की गुणवता सुनिश्चित की जा सके। भारत निर्वाचन आयोग एवं निर्वाचन विभाग के अधिकारियों द्वारा भी पुनरीक्षण कार्य का पर्यवेक्षण किया जाएगा। कृपया उक्त दिशा निर्देशों का भलीभांति अवलोकन करें क्योंकि ERO Net लागू होने के कारण कार्य अधिक व्यापक एवं तकीनीकी प्रकृति का है, अतः प्रासंगिक पत्र में दिये गये निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जावे।
- 18.2.** इसके अतिरिक्त पुनरीक्षण कार्यवाही के दौरान अभियान की विशेष तिथियाँ 13 जनवरी, 2019 एवं 20 जनवरी, 2019 को प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को प्रभारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाए जिससे इन तिथियों को किसी भी समस्या का निराकरण इन अधिकारियों द्वारा मौके पर ही किया जा सके।
- 18.3** भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य के समस्त संभागीय आयुक्तगणों को रोल पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। इनके द्वारा भी अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले जिलों का विभिन्न चरणों में भ्रमण कर पुनरीक्षण कार्यक्रम का पर्यवेक्षण किया जाएगा। इस विषय में विभाग द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं। कृपया रोल पर्यवेक्षकों को भ्रमण के दौरान आवश्यक सूचना उपलब्ध करवायी जाए।

19. प्राप्त दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण—

पुनरीक्षण कार्यक्रम की अवधि से पूर्व एवं पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान दावे एवं आपत्तियों के निस्तारण के विषय में आयोग के प्रासंगिक पत्र दिनांक 03 दिसम्बर, 2018 में विस्तृत दिशा—निर्देश प्रदान किये गये हैं। इनकी अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जाए।

20. **आवेदन पत्रों की विस्तृत जाँच-** इस विषय में कृपया आयोग के प्रासंगिक पत्र दिनांक दिनांक 03 दिसम्बर, 2018 का अवलोकन करें।
- 20.1 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी विलोपन के ऐसे प्रकरण जो मतदाता की मृत्यु के कारण विचाराधीन है, इनके अतिरिक्त शेष सभी प्रकरण जिसके क्रम में फार्म 7 प्राप्त हुए हैं में सभी आवेदन पत्रों की जाँच तहसीलदार या इसके समकक्ष स्तर के अधिकारी द्वारा करने के उपरान्त ही इन प्रार्थना पत्रों पर अन्तिम निर्णय लिया जाएगा।
- 20.2 विलोपन से संबंधित सभी प्रकरणों में निस्तारण के समय ध्यान रखा जाए कि ऐसे मतदान केन्द्र जहाँ पर विलोपन के प्रकरण मतदाता सूची में उपलब्ध मतदाताओं की संख्या के साथ 2 प्रतिशत से अधिक हो रहे हैं या ऐसे प्रकरण जिनमें किसी एक आक्षेपकर्ता द्वारा 5 प्रकरणों के आक्षेप किये गये हैं, ऐसे आक्षेपों की जाँच निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण से वरिष्ठ अधिकारी द्वारा करवायी जाए।
- 20.3 मृत्यु के प्रकरणों के अतिरिक्त विलोपन से संबंधित ऐसे प्रकरण जिनके निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा आदेश पारित किए हैं की जाँच उच्च स्तर से की जाएगी। उप जिला निर्वाचन अधिकारी या इनके समकक्ष अधिकारी इस प्रकार के 2 प्रतिशत प्रकरणों का सत्यापन करेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी 1 प्रतिशत प्रकरणों का एवं रोल पर्यवेक्षक 0.5 प्रतिशत प्रकरणों का प्रमाणीकरण करेंगे।
- 20.4 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा स्व:विवेक से किए जाने वाले विलोपन के प्रकरणों में आयोग के यह निर्देश हैं कि उक्त विलोपन प्र० ८ में आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होने की स्थिति में सावधानी पूर्वक ही किए जाए। जिला निर्वाचन अधिकारी इस प्रकार के विलोपन के प्रकरण पर गहन नजर रखेंगे। **इस क्रम में आयोग के प्रासंगिक पत्र दिनांक दिनांक 03 दिसम्बर, 2018 की ओर पुनः ध्यान आकर्षित किया जाता है।** इन निर्देशों में यह भी निर्देशित किया गया है कि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा परिवर्धन/विलोपन/संशोधन के प्रार्थना पत्रों का निस्तारण अर्द्ध न्यायिक प्रक्रिया की कार्यवाही करते हुए किया जाता है, इसलिए इनके निस्तारण के समय किसी अन्य उच्च अधिकारियों के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। इस क्रम में यह भी उल्लेखनीय है कि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा पारित आदेश की अपील अधिकृत अपीलीय अधिकारी को की जा सकती है। **आयोग द्वारा प्रासंगिक पत्रांक दिनांक दिनांक 03 दिसम्बर, 2018 में मतदाता सूची में मतदाताओं के नाम विलोपित करने के क्रम में आयोग विशेष निर्देश हैं।** कृपया आयोग के निर्देशों की पालना की जाना सुनिश्चित करें।

- 20.5 पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के निर्णय की अपील जिला निर्वाचन अधिकारी को की जायेगी।
21. पूरक सूचियों की तैयारी एवं मतदाता सूचियों का अन्तिम प्रकाशन— द्वितीय पुनरीक्षण कार्यक्रम की अवधि में प्राप्त दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण ERO Net के माध्यम से निर्धारित दिनांक 11 फरवरी, 2019 तक किया जायेगा।
- 21.1 वर्तमान पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, विलोपन करवाने एवं संशोधन हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों के बाद क्रमशः परिवर्धन, विलोपन एवं संशोधन की पूरक सूची-1 संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा इस कार्य हेतु निर्धारित अनुबंधित फर्मों द्वारा जिला स्तर पर यथास्थिति ERO Net के माध्यम से तैयार की जाएगी। अतः संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों का निस्तारण ERO Net पर करें।
- 21.2. ऑफलाईन प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों की डेटा एन्ट्री नियमित रूप से दिन-प्रतिदिन अनुबंधित फर्म के माध्यम से करवाया जाएगा। चूंकि मतदाता सूचियों की तैयारी एवं मुद्रण का कार्य जिला स्तर पर किया जाएगा, इसलिए जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) अपने जिले के लिए उक्त कार्य हेतु समस्त व्यवस्था करवाया जाना सुनिश्चित करें।
- 21.3 पूरक सूचियों का मुद्रण ERO Net के माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश दिनांक 25 सितम्बर, 2018 में दिए गए निर्देशों के अनुसार तैयार किये गये सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाएगा।
- 21.4 अन्तिम प्रकाशन के पश्चात पूरक सूचियों का एक सैट मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों/ग्राम पंचायत/नगरपालिका/नगर परिषद/नगर निगम को स्थायी तौर पर दिया जाए ताकि आम मतदाता इन निर्वाचक नामावलियों को अन्तिम प्रकाशन के पश्चात पुनः देख सके और यदि कोई आपत्ति और सुझाव देना हो तो वे आवेदन पत्र जिला निर्वाचन अधिकारी या निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रस्तुत कर सकें।
- 21.5. मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान विभिन्न स्तर पर प्राप्त आवेदन पत्रों का निस्तारण एवं पूरक सूचियों की तैयारी ERO Net के माध्यम से की जाएगी। इस विषय में विस्तृत दिशा-निर्देश यथाशीघ्र प्रेषित किए जा रहे हैं।
22. मतदाता सूचियों के दिनांक 22 फरवरी, 2019 को अंतिम प्रकाशन से पूर्व प्रपत्र 1-8 में सांख्यिकीय सूचना तैयार कर दिनांक 12 फरवरी, 2019 तक विभाग को प्रेषित की जानी है।

जिससे मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन हेतु निर्धारित दिनांक 22 फरवरी, 2019 से पूर्व आयोग की अनुमति प्राप्त की जा सके।

23. **कन्ट्रोल रूम :**


पुनरीक्षण अवधि के दौरान दिनांक 26 दिसम्बर, 2018 से 22 फरवरी, 2019 तक जिला स्तर एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में एक कन्ट्रोल रूम स्थापित किया जायेगा जिसमें पुनरीक्षण संबंधित समस्त सामग्री एवं दिशा-निर्देश रखे जायेंगे। कन्ट्रोल रूम में ऐसे कर्मचारियों को पदस्थापित किया जाये जिन्हें पुनरीक्षण प्रक्रिया की पूर्ण जानकारी हो। कन्ट्रोल रूम में एक शिकायत रजिस्टर रखा जाए जिसमें इस अवधि में प्राप्त होने वाली शिकायतों एवं समस्याओं को दर्ज किया जाये और इनके निस्तारण के लिये प्रतिदिन सक्षम अधिकारियों को रजिस्टर का अवलोकन करवाया जाये। कन्ट्रोल रूम के टेलीफोन नम्बर का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये।

आयोग के दिशा निर्देशानुसार मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण कार्यक्रम की क्रियान्विति निर्धारित समयावधि में पूर्ण की जाये। आयोग के निर्देशों को समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा पुनरीक्षण कार्य से जुड़े अधिकारियों/कर्मचारियों के ध्यान में लायें।

कृपया पत्र की प्राप्ति से अवगत करायें।

संलग्न: उपरोक्तानुसार।

भवदीय,


(आनन्द कुमार)


मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक: प.3(3)(2)रोल / निर्वा / SSR-2019/2018 / 12627

जयपुर, दिनांक 18.12.18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. निजी सचिव, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान, जयपुर।
2. अतिरिक्त निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त सम्भागीय आयुक्त (रोल पर्यवेक्षक) राजस्थान।
4. समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, राजस्थान।
5. समस्त अधिकारीगण, निर्वाचन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी (आई.टी.) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने बाबत।
7. साखियकी शाखा/भण्डार शाखा एवं लेखा शाखा, निर्वाचन विभाग, राजस्थान, जयपुर।


(विनोद कुमार पारीक)
उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर

E-mail/Speed Post

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

No. 23/BLO/LET/ECI/FUNC/ERD/ER/2016

Dated: 5th September, 2016

To,

The Chief Electoral Officer of
All States/UTs

Subject: Revision of Electoral Rolls-deployment of Teachers-regarding.

Sir/Madam,

I am directed to say that the Hon'ble Allahabad High Court while disposing of writ petition in Public Interest Litigation (PIL) No. 36449 of 2016 (Uttar Pradeshhiya Prathmik Shikshak Sangh and Ors. Vs State of Uttar Pradesh and Ors) has passed its judgement on 08.08.2016 (a copy of the judgement is enclosed).


the Hon'ble High Court that the teaching staff will be put on duty on non-teaching days and within non-teaching hours, as observed by the Hon'ble Supreme Court in Election Commission of India Vs. St Mary's School and Ors. (2008) 2 SCC 390.

In the case of St. Mary's School and Ors., the Hon'ble Supreme Court had directed that all teaching staff shall be put on duty of roll revision and election work on holidays and non-teaching days. The Court further directed that teachers should not ordinarily be put on duty on teaching days and within teaching hours and non-teaching staff however, may be put on such duty on any day and anytime, if permissible in law.

Consequently, for drafting of teachers on duty of electoral roll revision, the Commission issued detailed directions vide letter No. 23/2007/ERS, dated 28.01.2008 (a copy enclosed for ready reference) to the Chief Electoral Officers of all States/UTs.

In view of the instant judgment of the Hon'ble Allahabad High Court, the Commission hereby reiterates its directions as spelt out in its letter dated 28.01.2008 as referred to above. The Commission further directs that all concerned should be informed about the same.

Yours faithfully,


(NARENDRA N. BUTOLIA)

Chief Justice's Court

Case :- PUBLIC INTEREST LITIGATION (PIL) No. - 36449 of
2016

Petitioner :- Uttar Pradeshhiya Prathmik Shikshak Sangh And 3 Ors.
Respondent :- State Of U.P. And 7 Others

Counsel for Petitioner :- Satyash Chandra Maurya, Dharampal
Singh, Mangal Rai
Counsel for Respondent :- C.S.C., Bhupendra Nath Singh, Jai
Krishna Tiwari, Siddharth Niranjan, Tarun Agrawal

Hon'ble Dilip B. Bhosale, Chief Justice
Hon'ble Yashwant Varma, J.

Heard Mr. Dharampal Singh, learned Senior Counsel,
assisted by Mr. S.C. Agarwal, learned Counsel for petitioner,

Mr. S.C. Agarwal, learned Senior Counsel for respondent Nos. 1, 2, 3, 5 and 6, Mr. S.C. Agarwal, learned Senior Counsel for respondent No. 4, Mr. B.N. Singh, learned Senior Counsel for respondent No. 7 and Mr. Tarun Agrawal, learned counsel for respondent No. 8.

The petitioners-Sangh, in the instant writ petition, seek the following reliefs:

i) Issue a writ, order or direction in the nature of mandamus restraining the respondents from compelling basic school teachers to perform the duties as Booth Level Officers and for Preparation, Revision, Maintenance and D-Duplication of the Electoral Roll/Voter List or any other duty which interferes in the regular functioning of basic school teachers in regularly teaching the students;

ii) Issue a writ, order or direction in the nature of mandamus directing the authorities below for issuing a

the respondent.

Learned counsel for the respondents, at the outset, invited our attention to the judgment of the Supreme Court in

Election Commission of India Vs. St. Mary's School & Ors., (2008) 2 SCC 390 and particularly paragraph 33 thereof, and submitted that in view of the directions issued by the Supreme Court, this writ petition may be disposed of in terms thereof. Paragraph 33 reads thus:

"33. We would, however, notice that the Election Commission before us also categorically stated that as far as possible teachers would be put on electoral roll revision works on holidays, non-teaching days and non-teaching hours; whereas non-teaching staff be put on duty any time. We, therefore, direct that all teaching staff shall be put on the duties of roll revisions and election works on holidays and non-teaching days. Teachers should not ordinarily be put on such duties on any day or at any time, if permissible in law."

Learned counsel for the respondents submit that they shall put the teaching staff on duty on non-teaching days and within non-teaching hours, as observed by the Supreme Court in the aforementioned paragraph. Their submission is recorded and accepted.

In view thereof, nothing further survives in the writ petition. The writ petition is disposed of.

Order Date :- 8.8.2016

RKK/-


(Dilip B Bhosale, CJ)

(Yashwant Varma, J)

AUTHENTICATED COPY
Bhas
 16/8/16 AM
 SECTION OFFICER
 COMPUTERISED COPYING SECTION
 HIGH COURT ALLAHABAD



Warning :- Don't tamper with the barcode.
Embossing to be done below this line



Embossing to be done above this line



**Computerized Copying Section, High Court of Judicature at
Allahabad**

Requisition Information									
Folio No.	Application Date	Case Type	Case No.	Year	Case filed at	Date of Judgment/Order	Court Fee	No.of Pages	
182338 of 2016	16.8.2016	WPIL	36449	2016	Allahabad	8.8.2016	15.0	2	

Printed/Prepared by Signature : Name :- Amit Kumar Srivastava Designation :- Review Officer Employee No. :- E7173 Date of Printing - 16.8.2016	Authenticated by Signature : Name :- Designation :- Section Officer Employee No. :- 3321 Authenticated Copy ready on:-	Date of Issuance
---	---	--------------------------

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110 001.

No.485/Comp/ERO-Net/2018

Dated: 16.07.2018.

To

The Chief Electoral Officers of
All the States/UTs.

Sub: Process for implementation of Integrated Contact Centre (ICC) for PwD Voter facilitation in ERO-Net – Reg.

Madam/Sir,

I am directed to inform you that during the National Consultation on Accessible Elections held by ECI on 3rd & 4th July, 2018, it was brought to the notice of the Commission that PwD voters were facing difficulties in reaching the Electoral Registration Officer (ERO) office for new registration, detail change, migration request, deletion of names and accessing EPIC information.

The ECI has therefore decided to streamline the procedure to enable Integrated Contact Center (ICC) and ERO Net to facilitate PwD voters by providing them door-to-door services by the use of ICC and ERO-Net as per the following mechanism.


Accordingly, the Commission has decided to facilitate them through door-to-door services by the use of ICC and ERO-Net as per the following mechanism (flowchart attached):-

1. PWD Voters will make a call to ICC and the agent at National Contact Centre (NCC) or State Contact Centre will log the details (through voice email) into the National Grievance Service Portal (NGSP).
2. The details will be transmitted to the ERO-Net System where the Booth Level Officer (BLO) will be appointed within 3 days on receipt of the request.
3. The BLO will get the forms filled up by visiting door-to-door and thereafter entering the details in the ERO Net for processing of the order by ERO.
4. The details of the orders passed will be available to the ICC agent for responding to any telephonic/email queries regarding the process.

As the relevant ERO Net Application is to be launched on 31st July, 2018, you are accordingly requested to bring these instruction/ procedures to the notice of all concerned officials, well in advance.

Yours faithfully,


(AMIT KUMAR)
UNDER SECRETARY



ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

No.23/LET/ECI/FUNC/ERD/ER/2018-II

Dated 25th September, 2018.

To

20/140

Addl CEO (R)

Re
BKT
31/10/18

The Chief Electoral Officers of
all States and Union Territories.

31/10/18

Subject:-

Preparation of electoral rolls in an election year- Integration, carrying out corrections and printing - hosting of electoral rolls on CEOs' website- free supply of rolls to recognized political parties and contesting candidates-regarding.

Reference:

Commission's instructions

1. No. 22/2/INST/ECI/FUNC/ERD/ER/2017, dated 10th January, 2017
2. No. 23/LET/ECI/FUNC/ERD-ER/2018, dated 7th May, 2018
3. No. 23/LET/ECI/FUNC/ERD-ER/2018, dated 20th July, 2018
4. No. 23/LET/ECI/FUNC/ERD-ER/2018, dated 7th September 2018

Sir/Madam,

I am directed to state that the Commission's instructions relating to preparation of draft and final electoral rolls in an election year are amply clear, however, there are some queries from the poll going States. For sake of clarity and transparency to all election authorities and other stakeholders, the instructions are once again reiterated as below:

2. Preparation of draft rolls: All the supplements of last revision and continuous updation alongwith the mother roll shall be integrated and consolidated in a single basic roll before draft publication of electoral rolls during a summary revision, so that there is no supplement at the time of draft publication. This integration is required to be done every year before draft publication irrespective of whether it is an election or non-election year. Before such integration of roll, the supplements of continuous updation has to be first printed and kept in record after sharing the same with the recognized political parties and then integrated for publication of the draft roll, as this ensures the tracking of changes made during continuous updation since the last final publication of the roll.

3. Preparation of final rolls:

3.1. In a non-election year, the final roll will be in the form of the mother roll (published as draft roll) with an additional supplement of all three components namely, additions,

deletions and corrections, **without any of the changes indicated/reflected in the mother roll.**

The political parties shall be asked, in writing, while supplying copies of final roll, to make necessary changes in the copies supplied, to indicate the deletions and corrections, if any, in the supplements.

3.2. In an election year, at the time of final publication, the basic mother roll integrated draft roll) shall be reprinted. The reprinted mother roll shall remain the same as was published at the time of draft publication, except the following changes -

- (i) The word "D E L E T E D" shall be superimposed diagonally (computer-generated) on the elector detail box concerned to indicate that the said entry has been deleted in the 'deletion' list of Supplement. In the 'deletion' Supplement, the alphabets, 'E' 'S' 'Q' 'R' or 'M' shall be pre-fixed against serial number of each deleted entry to denote the reason for deletion.
- (ii) Secondly, a hash (#) sign shall be prefixed before serial number of each of the entry corrected to indicate that the entry has been corrected in the 'correction' list of Supplement but no correction actually should be carried out in the reprinted mother roll.
- (iii) Similarly, photographs of electors corrected in the 'correction' supplement will not be added/changed/corrected in the reprinted mother roll. Photograph of an already registered elector received/captured subsequently, or corrected or replaced should be listed in the 'correction' list and retained therein. Such photographs should not be inserted in the reprinted mother roll while reflecting all other corrections. Instead, in the reprinted mother roll, in the space provided for photograph, the words "**Photo as in Correction List**" in bold should be printed. These words should be imprinted over an existing photograph in case the same is wrong or needs to be changed due to any other reason.
- (iv) In respect of cases where the photo printed in the draft roll is wrong and the correct photo is somehow not available/captured before final publication, the word "**Photo Deleted**" may be imprinted on the wrong photo in the reprinted mother roll and a (#) sign affixed to indicate the change in

'correction' list supplement. In the correction list supplement, against the space for photo, there should be no photo and words, '**Photo Deleted**' should be inscribed.

- (v) After reprinting of mother roll, as mentioned above, only one supplement (comprising all 3 components) is appended to the draft roll at the time of final publication to list out Additions, Deletions and Corrections allowed during the revision period (between draft publication and final publication of roll).

4. Hosting of draft/final electoral rolls on CEOs' website and sharing of electoral rolls with recognized political parties: In this regard Commission's detailed instructions issued vide letter No. 23/LET/ECI/FUNC/ERD-ER/2018, dated 7th September 2018 mentioned above, shall be referred to.

4.1. Hosting of electoral rolls on website- As provided in the instructions only **image pdf** (non-editable) of electoral rolls, with only details and without photograph of electors, shall be hosted on the CEOs' website and the access to view such image PDF of electoral rolls should be strictly provided through CAPTCHA containing alphabet numeral and special character. Therefore as soon as disposal of claims and objections is over, immediate necessary action shall be taken to convert the copy of electoral roll in image pdf accordingly so that the same is ready, well in time, for hosting on website on the date of final publication.

4.2 Sharing of electoral rolls with recognized political parties-

(i) Two copies of the electoral roll – one printed copy and another soft copy in CD shall be supplied to the recognised political parties, free of cost, immediately at the time of draft publication as well as the final publication. While the hard (printed) copy shall have the electors' photographs, the soft copy of the roll shall be supplied without photograph of the electors.

(ii) Only 2 copies of the roll of a constituency irrespective of the language in which they are prepared are to be supplied to the political parties. If electoral roll of a constituency is prepared in 2 languages, it would be sufficient to supply to each political party 2 copies of the roll, one in each language. If, however, a political party prefers to take both copies in the same language, it will be supplied with the copies accordingly. In cases where the roll of a constituency is printed in 3 languages, two copies in the language of their choice may be supplied free of cost

to each political party.

(iii) As mentioned above, wherever soft copy of the electoral rolls (draft/final) is supplied to anyone under the provisions of law and in pursuance of the Commission's instructions, such rolls should be in **image PDF Format** (non-editable) with only the details and without the photographs of electors.

(iv) After draft/final publication of electoral roll, a complete set of the full roll including last part of electoral roll for the assembly constituency, as available at the time of such publication, should be shared with recognized political parties. In an election year, the **complete set of finally published electoral roll means reprinted mother roll plus all components of supplements, prepared during revision period and last part of electoral roll for the assembly constituency.**

5. Preparation and printing of electoral roll for conduct of poll and supply of copy of electoral roll to contesting candidates of recognized political parties:

5.1. Further, in an election year, another supplement of continuous updation (for the period between the final publication and last date of making nominations), wherever necessary, is appended to the final electoral roll, for conduct of poll.

5.2. Earlier, the Commission had directed that when supplement is printed after the period of continuous updation is over after the last date of filing of nominations in case of a poll, the changes on the basis of supplements should be made by hand in the Mother Roll for the purpose of preparing the Marked Copy of the electoral roll, and letter should be given to all the contesting candidates, that they should make such changes by hand themselves in the copies of the roll supplied to them. It has, however, been observed that candidates often do not carry out the changes by hand and the Commission gets complaints that the copy of the electoral roll given to the Presiding Officers for poll is different from the copy of the electoral roll given to the candidates.

5.3. To ensure that electoral roll supplied to candidates and the copy set apart for markings (for use in conduct of poll) are identical, the Commission has directed that Mother roll shall again be printed along with all the supplements, on the same lines as explained in para 3.2 above, using the software provided for this purpose, at the end of the period of continuous updation after the period for last date of making nominations is over, so that there should be no need to make any corrections in the electoral roll, by hand.


5.4. A copy of this electoral roll with the Mother Roll and supplements, so printed by software,

shall be given free of cost to contesting candidates of recognized political parties. This will be made available for sale by the EROs to political parties and other persons. The same copy shall also be used for preparation of Marked Copy of electoral rolls to be used in polls.

5.5 Re-printing of such electoral roll shall be required only for those polling stations, where changes are to be carried out on the basis of supplements, being printed for the continuous updation period from the date of final publication to the last date of making nominations. Printing of the rolls again shall not be necessary for those polling stations where no change has taken place in the electoral roll and no supplement is being printed.

6. The above instructions shall be brought to the notice of all concerned for strict compliance.

Yours faithfully,


(NARENDRA N. BUTOLIA)
PRINCIPAL SECRETARY

वार्ड सभा का संक्षिप्त प्रतिवेदन – 2019

1.	जिले का नाम	:
2.	विधानसभा क्षेत्र का नाम एवं नम्बर	:
3.	ग्राम पंचायत का नाम: .	:	वार्ड की क्रम संख्या:
4.	वार्ड सभा आयोजन का दिनांक	:
5.	वार्ड सभा में उपस्थित नागरिकों की अनुमानित संख्या	:
6.	पुनरीक्षण से संबंधित आवश्यक दिशानिर्देश समझाये गये	:	हॉ/नहीं
7.	क्या वार्ड सभा में मतदाता सूचियों को पढ़कर सुनाया गया	:	हॉ/नहीं
8.	मतदाता सूचियों में नाम जोड़ने/हटाने एवं संशोधनों हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	:
9.	पूर्व से पंजीकृत सत्यापित किये गये विशेष योग्यजनों की संख्या	:
अ.	मतदाता सूचियों के डेटाबेस में उपलब्ध विशेष योग्यजनों की संख्या	:
ब.	मतदाता सूची में पंजीकृत विशेष योग्यजनों की संख्या जिनका डेटाबेस में नाम नहीं है	:
10.	विशेष योग्यजनों को मतदान समय उपलब्ध करवाये जाने वाले संसाधनों की सूचना	:
अ.	Wheel Chair की आवश्यकता	:
ब.	अन्य संसाधन की आवश्यकता	:

प्राप्त प्रपत्रों का विवरण

मतदान केन्द्र संख्या	प्रपत्र-6	प्रपत्र-7	प्रपत्र-8	प्रपत्र-8क	प्रपत्र ईपिक-001
1	2	3	4	5	6

11. क्या आवेदन पत्रों पर टिप्पणी अंकित कर दी है? : हॉ/नहीं
12. वार्ड सभा में मतदाता सूचियों में सम्मिलित मतदाताओं के संबंध में यदि कोई विशेष सूचना प्राप्त हुई तो उसका संक्षिप्त विवरण अंकित करें।

स्थान:
दिनांक:

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा
नियुक्त पदाभिहित अधिकारी के
हस्ताक्षर

- नोट: 1. यह प्रपत्र वार्ड सभा के लिये निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा नियुक्त पदाभिहित अधिकारी/कर्मचारी के द्वारा भरा जायेगा।
2. पदाभिहित अधिकारी द्वारा यह प्रपत्र निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में वार्ड सभा में प्राप्त आवेदन पत्रों के साथ जमा करवाया जायेगा।